न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी महेन्द्र लोढ़ा, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 37/2020 दायरा दिनांक : 20.07.2020

उनवान

1– बीरम वल्द हीरा, जाति लोधा, आयु 45 साल, निवासी समरोल, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़

2– श्रीलाल वल्द हीरा, जाति लोधा, आयु 42 साल, निवासी समरोल, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़

.... अपीलांट

बनाम

1– गुलाब चन्द वल्द धूलीलाल, जाति लोधा, निवासी समरोल, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़

2– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मनोहरथान जिला झालावाड़

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित – श्री अमर सिंह लववंशी एवं श्री मुकेश लोधा अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री श्याम सुन्दर शर्मा ।। अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय दिनांक : 18.02.2021

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, मनोहरथाना के प्रकरण संख्या – 76/2009 निर्णय व डिक्री दिनांक 14.06.2016 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि विरूद्ध, पत्र संग्रहसार के विपरीत है । रेस्पोडेंट वादी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में जो वाद पेश किया गया है उसकी सुनवाई, कानूनी रूप से होकर जवाबदेही व सबूत गवाह पेश होने के

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्धअधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

वाद का उचित निर्णय पारित होना चाहिए था परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कानूनी बिन्दुओं पर गौर नहीं किया तथा अपीलांट के प्रकरण को लोक अदालत में लाकर दोनों पक्षों को पैमाईश करवाये जाने बावत सहमति नहीं होने के बावजूद निर्णय पारित कर दिया । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवायी एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर भी प्रदान नहीं किया तथा हमारी अनुपस्थिति में निर्णय व डिक्री पारित कर दी। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 14.06.2016 अपास्त की जावे ।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 14.02.2020 को हुई । जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है । अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने हमारी अनुपस्थिति में निर्णय व डिक्री पारित कर दी तथा हमें सुनवायी व साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया । वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 463 रकबा 6 बिस्वा का है । वादग्रस्त आराजी गैर मुमकिन रास्ता है । वादग्रस्त आराजी पर रेस्पोडेंट ने हमारा कब्जा करना बताया है । हमारे पास पेलेन्टी की रसीद भी है । वादग्रस्त आराजी सरकार में रहनी चाहिए रेस्पोडेंट कैसे मालिक बन गया । अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जावे ।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने कथन किया कि वादी व प्रतिवादी गण ने अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होकर वादग्रस्त आराजी की पैमाईश करने को कहा । अधीनस्थ न्यायालय ने सहमति के आधार पर निर्णय पारित किया है जो सही है । ये हमारी खाते की आराजी पर एवं रास्ते की जमीन पर भी कब्जा नहीं कर सकते । अतः अपील खारिज की जावे ।

(अ[illegible] लो[illegible])
भू-प्रबन्ध[illegible]धिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । न्याय हित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विलम्ब का शमन किया जाता है ।

अधीनस्थ न्यायालय ने लोक अदालत केम्प समरोल में वादी एवं प्रतिवादी की उपस्थिति में प्रकरण का निस्तारण किया है । पत्रावली में वादी एवं प्रतिवादीगण के हस्ताक्षर हैं । अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में अंकित किया है कि पक्षकारों की आपसी सहमति के आधार पर ग्राम समरोल तहसील मनोहरथाना के माल की खाता संख्या 127 खसरा नम्बर 681/463 की 0.06 बीघा आराजी की दोनों पक्षों की उपस्थिति में पैमाईश की जावे । यदि दौराने पैमाईश आराजी के किसी भाग पर प्रतिवादीगण अपीलांट का कब्जा पाया जाये तो प्रतिवादीगण को बेदखल किया जाकर कब्जा वादी रेस्पोडेंट को दिलाया जाये । उक्त आदेश वादी व प्रतिवादी की उपस्थिति में पारित किया गया है जिसमें अपीलांट की उपस्थिति भी है । अतः प्रकरण का निस्तारण उभयपक्षकारों को सुनकर किया गया है, जो उचित है जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 14.06.2016 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 18.02.2021 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

डिकरी व सीगे अपील

Jud/Civ
Part IV-4

(ऑ. 41, रूल 35 जाप्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix G'9)

अज अदालत न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा मुकाम कोटा
महेन्द्र लोढा, आर.ए.एस. पीठासीन प्राधिकारी, कोटा (राजस्थान)

1– वीरम वल्द हीरा, जाति लोधा, आयु 45 साल, निवासी समरोल, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड 2– श्रीलाल वल्द हीरा, जाति लोधा, आयु 42 साल, निवासी समरोल, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड	**बनाम**	1– गुलाब चन्द वल्द धूलीलाल, जाति लोधा, निवासी समरोल, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़ 2– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मनोहरथान जिला झालावाड़
.....अपीलांट		..... रेस्पोडेंट

अपील नं. 37/2020 व नाराजगी डिकी अदालत – उपखण्ड अधिकारी, मनोहरथाना
मु.द.नं 76/2009 निर्णय एवं डिकी दिनांक – 14.06.2016

दावा बाबत

माह अपील व तारीख 05 माह 02 सन् 2021

हाजरी **श्री अमर सिंह लववंशी** एवं **श्री मुकेश लोधा** अभिभाषक मिनजानिब अपीलांट एवं श्री **श्याम सुन्दर शर्मा** ।। अभिभाषक मिनजानिब रेस्पोडेंट

समाअत के लिये पेश होकर हुक्म हुआ कि :–

अपील अपीलांट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिकी दिनांक 14.06.2016 यथावत रखा जाता है ।

बावत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत आज तारीख 18 माह 02 सन् 2021 को जारी किया गया।

मोहर

(महेन्द्र लोढा)
भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
राज.